न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 13/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
रामचन्द्र पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी एम टी स्कूल के पास, बलदेव नगर तहसील बाड़मेर (मैसर्स मरूधर दूध डेयरी, महावीर नगर, सिणधरी रोड, बाड़मेर जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी दिनांक **14.02.2019** को अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स मरूधर दूध डेयरी, महावीर नगर, सिणधरी रोड, बाड़मेर जिला बाड़मेर** पर एक फ्रीज में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** कुल 12 किग्रा भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 किला दही (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1017** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दही **(खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के दही से किसी प्रकार की कोई जनहानि या अन्य किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है न ही अप्रार्थी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है। अप्रार्थी का कृत्य बारम्बार का नहीं है तथा उक्त उपबंधों की जानकारी नहीं होने से परिवाद में वर्णित आरोप से उन्मोचन का हकदार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखे गये थे। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही गलत एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप किया जाना न्यायोचित है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **27.02.2019** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी के दही से किसी प्रकार की कोई जनहानि या अन्य किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है न ही अप्रार्थी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया... अप्रार्थी का कृत्य बारम्बार का नहीं है तथा उक्त उपबंधों की जानकारी नहीं होने से परिवाद में वर्णित आरोप से उन्मोचन का हकदार है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है तथा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता/उपयुक्तता के स्तर का नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। अप्रार्थी की फर्म से विक्रय के आशय से रखे गये खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **27.07.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला ... बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:15 IST
Reason: SelfAttested